



भारत का राजपत्र


The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 202]
No. 202]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 1998/ज्येष्ठ 12, 1920
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 1998/JYAISTHA 12, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1998

सा.का. नि. 322(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री एस.एन. अग्रवाल को गांधीधाम चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांडला पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा.का. नि. 162(अ), दिनांक 31-3-1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—
"14. श्री एस.एन. अग्रवाल — गांधी धाम चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।"

[सं. पी.टी.-18011/6/97-पी.टी.]

के.वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 1998

G.S.R. 322(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri S.K. Agrawal as a Trustee on the Board of Trustees for the Port of Kandla to represent Gandhidham Chamber of Commerce & Industry and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) no. G.S.R. 162(E) dated 31-3-1998.

2. In the said notification after serial no. 13 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted namely :—

"14. Shri S.N. Agrawal — Representing the Gandhidham Chamber of Commerce & Industry".

[F. No. PT-18011/6/97-PT]

K.V. RAO, Jt. Secy.

